

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं :

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

- (क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी शैली और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;
- (ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर :
- अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;
 - अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;
 - विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
 - अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;
 - अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
 - ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;
 - किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उद्देश्य भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;
- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
- अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त नासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिफल की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;
- सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ, उपदर्शित करता हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;
- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की शैली जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के बारे में सम्मिलित हैं;
- अपने द्वारा अनुदत्त रिणायकों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ;
- किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;
- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;
- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ;
- ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

- (ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विवरण करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;
- (घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककृत्य विनिश्चयों के लिए सूचना प्रदान कराएगा :

सिद्धांत

सिद्धांत